

220



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश गवालियर

तारीख प्रकरण - 1058/2009

प्रकरण क्रमांक 1 2008 निगरानी - 1058-1109

श्री ज्ज. म. गुप्ता  
अभिभावक कार्य क्षेत्र  
उच्च न्यायालय  
11/10/09  
A/C

१- सेहनबाई पत्नि हीरालाल पाट्टीदार  
वय ४७ वर्ष धर्म कृष्ण निवासी ग्राम  
सुभाला तहसील सीतामऊ जिला मन्दासौर

२- धना पिता हरीराम वय ४१ वर्ष जाति  
कलई धर्म कृष्ण निवासी ग्राम सौदरामाता  
तहसील सीतामऊ जिला मन्दासौर

----- आवेदकगण

पि.ब.

मांगूबाई पिता हरीराम वय ५० वर्ष जाति  
कुमारवर्त-धर्म कृष्ण निवासी ग्राम तम्बोलिया  
तहसील सीतामऊ जिला मन्दासौर

----- बनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मू.रा.० संविदा १६५६  
बनाराजी निर्णय अपर वायुक्त महोदय उच्च न्यायालय  
उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक २०-७-२००६ प्रकरण क्रमांक  
२४३।०७-०८ अपील विद्वतीय ।

माननीय महोदय,

असवेदकगण, अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर वायुक्त  
महोदय उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पाणित विवादित निर्णय दिनांक  
२०-७-२००६ प्रकरण क्रमांक २४३।०७-०७ अपील, से असन्तुष्ट रहनु दखित  
होकर निम्न वादार्थों पर निगरानी अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत करते हैं :-

१- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा पाणित विवादित  
त निर्णय विधि स्वयं विधान के विपरित होने से निरस्त किया जाने के  
योग्य है ।

२- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय कारण की परिस्थितियों  
पर मतिमति विचार किये बिना विवादित निर्णय प्रदान किया गया है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

122

290

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1058-एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं निकाशाधिकारी आदि का नाम
30-08-2019	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 01-01-2016 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p>(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	

R